भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *62

जिसका उत्तर 24.07.2025 को दिया जाना है

रियायत अवधि के बाद भी पथकर संग्रह

*62. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर विशेषकर तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने टोल प्लाजा संचालित हैं;

(ख) क्या सरकार तमिलनाडु और अन्य राज्यों में रियायत संबंधी समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद भी पथकर संग्रह जारी रखने वाले टोल प्लाजा को लेकर बढ़ते जन असंतोष से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु में वर्तमान में ऐसे कितने टोल प्लाजा संचालित हैं और समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद भी पथकर संग्रह जारी रहने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन टोल प्लाजा की संपरीक्षा कराने और जनता से अधिक शुल्क लिए जाने के लिए रियायतग्राहियों को जवाबदेह ठहराने हेतु कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने तमिलनाडु में दैनिक यात्रियों और छोटे व्यापारियों पर पड़ने वाले पथकर शुल्क के बोझ की समीक्षा की है और उन्हें कोई राहत प्रदान करने पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

<u>विवरण</u>

"रियायत अवधि के बाद भी पथकर संग्रह" के संबंध में श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि द्वारा पूछे गए दिनांक 24.07.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *62 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर संचालित शुल्क प्लाजाओं की राज्य-वार संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण परियोजना विकास लागत की वसूली से संबंधित नहीं है। प्रयोक्ता शुल्क, राष्ट्रीय राजमार्ग के पूर्ण हो चुके खंड के उपयोग के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के प्रावधानों के अनुसार संग्रह किया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के प्रावधान के अनुसार, रियायत समझौते के अनुसार अधिसूचित शुल्क रियायत अवधि के अंत तक लगाया जाएगा और रियायत अवधि समाप्त होने के बाद, सरकार या निष्पादन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 2008 के नियम 4 के उप-नियम (2) के तहत निर्दिष्ट शुल्क के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, सुरंग या बाईपास, जैसा भी मामला हो, के ऐसे खंड के हस्तांतरण की तारीख पर निर्दिष्ट शुल्क के अनुसार शुल्क संग्रह किया जाएगा तथा इसे वार्षिक रूप से संशोधित किया जाएगा।

सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजना के संबंध में, राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, सुरंग या बाईपास के ऐसे खंड के लिए, जैसा भी मामला हो, उद्ग्रहणीय शुल्क का संग्रहण निरंतर जारी रहेगा, जिसे इन नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा।

बीओटी परियोजनाओं के मामले में, रियायत अवधि की समाप्ति के बाद शुल्क प्लाजा सरकार को सौंप दिया जाता है और तत्पश्चात सरकार द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से प्रयोक्ता शुल्क संग्रहीत किया जाता है।

प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण से सरकार द्वारा संग्रहीत राजस्व को भारत की संचित निधि (सीएफआई) में जमा किया जाता है और बजटीय आवंटन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किया जाता है।

(ग) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी प्रयोक्ता शुल्क प्लाज़ा, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2008 और रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार, भारत के राजपत्र में प्रकाशित संबंधित प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के अनुसार सख्ती से संचालित किए जा रहे हैं। शुल्क संग्रहण रिकॉर्ड की समीक्षा और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली/रियायती समझौते के प्रावधानों के अनुसार शुल्क संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षा किए जाते हैं।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 2008 के अनुसार, देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के स्थानीय और नियमित प्रयोक्ताओं के लिए प्रयोक्ता शुल्क और मासिक पास में छूट के लिए विभिन्न प्रावधान हैं। इसके अतिरिक्त, सर्विस रोड के अभाव में, दो पहिया वाहनों, तीन पहिया वाहनों, ट्रैक्टरों और पशु चालित वाहनों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग, जैसा भी मामला हो, के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है।

इसके अलावा, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 2008 में गैर-व्यावसायिक कारों, जीपों और वैन के लिए वार्षिक पास का प्रावधान किया है, जो 15 अगस्त 2025 से देशभर में लागू होगा। इस प्रावधान के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो गैर-व्यावसायिक वाहन का मालिक है और जिसके पास वैध और कार्यात्मक फास्टैग है, तीन हजार रुपये के शुल्क के भुगतान के पश्चात पास प्राप्त करने के लिए पात्र होगा जो एक वर्ष के लिए या राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी शुल्क प्लाजा पर दो सौ क्रॉसिंग, जो भी पहले हो, के लिए वैध होगा।

अनुबंध

"रियायत अवधि के बाद भी पथकर संग्रह" के संबंध में श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि द्वारा पूछे गए दिनांक 24.07.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *62 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राष्ट्रीय राजमार्गों पर संचालित प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

राज्य /संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जून, 2025 तक परिचालनरत शुल्क प्लाजा की संख्या
आंध्र प्रदेश (क्षेत्रीय कार्यालय विजयवाड़ा)	74
असम (क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी)	10
बिहार (क्षेत्रीय कार्यालय पटना)	41
छत्तीसगढ़ (क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर)	23
गुजरात (क्षेत्रीय कार्यालय गांधीनगर)	62
हरियाणा (क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ और क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली)	75
हिमाचल प्रदेश (क्षेत्रीय कार्यालय शिमला)	06
जम्मू और कश्मीर (क्षेत्रीय कार्यालय जम्मू)	06
झारखंड (क्षेत्रीय कार्यालय रांची)	19
कर्नाटक (क्षेत्रीय कार्यालय बैंगलोर)	62
केरल (क्षेत्रीय कार्यालय तिरुवनंतपुरम)	08
मध्य प्रदेश (क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल और क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर)	93
महाराष्ट्र (क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई और क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर)	94
मेघालय (क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी)	04
ओडिशा (क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर)	31
पंजाब (क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़)	40
राजस्थान (क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर और क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली)	162

तमिलनाडु (क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई और क्षेत्रीय कार्यालय मदुरै)	72
तेलंगाना (क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद)	36
उत्तर प्रदेश (क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश पूर्व-वाराणसी और क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश पश्चिम-लखनऊ, क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली)	125
उत्तराखंड (क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून)	12
पश्चिम बंगाल (क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता)	32
कुल	1,087

*****